(8)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : एम. गोपाल रेड्डी,
प्रशासकीय सदस्य

निगरानी-7191-एक/16 विरुद्ध आदेश दिनांक 05.05.2016 पारित द्वारा कलेक्टर ऑफ स्टाम्प जिला जबलपुर प्रकरण क्रमांक 111/बी-103/धारा-33/2014-15

सुरेश कुमार असरानी पिता घनश्यामदास असरानी
निवासी- 49/1 नर्मदा रोड, आदर्श नगर ग्वारीघाट
जबलपुर (म.प्र.)

.....**आवेदक**

विरुद्ध

1. म0प्र0 शासन द्वारा कलेक्टर ऑफ स्टाम्प जबलपुर (म.प्र.)
2. श्री सतीष कुमार असरानी पिता श्री बसंत राव असरानी
   निवासी - शिवम नर्मदा रोड, सांई मंदिर के पास, जबलपुर
3. राजेश कुमार असरानी पिता परसराम असरानी
4. विनोद कुमार असरानी पिता परसराम असरानी
5. दीपक कुमार असरानी पिता घनश्यामदास असरानी
   क्र. 3 से 5 सभी निवासी- 49/1 नर्मदा रोड, आदर्श नगर ग्वारीघाट जबलपुर (म.प्र.)

.....**अनावेदकगण**

आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री संतोष जायसवाल
अनावेदक क्र. 2 से 5 की ओर से अधिवक्ता श्री कमलेश जायसवाल

आदेश

(आज दिनांक...05/6/18.....को पारित)

यह निगरानी कलेक्टर ऑफ स्टाम्प जिला जबलपुर प्रकरण क्रमांक 111/बी-103/धारा-33/2014-15 में पारित आदेश दिनांक 05.05.2016 के विरुद्ध भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 (जिसे आगे स्टाम्प एक्ट कहा जाएगा) की धारा-56(4) के तहत पेश की गई है।

(3)

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि उप पंजीयक कार्यालय जबलपुर के पत्र क्रमांक 216, दिनांक 22.12.2014 द्वारा मुख्त्यारनामा आम जो 1,000/- के स्टाम्प पर दिनांक 19.12.2014 को उपपंजीयक कार्यालय जबलपुर में प्रस्तुत हुआ। दस्तावेज असम्यक रूप से स्टाम्पित होने के कारण उपपंजीयक द्वारा मुद्रांक अधिनियम की धारा-33 में अवरुद्ध कर धारा-38(2) तहत कार्यवाही हेतु प्रेषित किया। जिस पर कार्यवाही करते हुए कलेक्टर ऑफ स्टाम्प ने अपने आदेश दिनांक 05.05.2016 द्वारा कमी स्टाम्प शुल्क 2,07,500/- एवं शास्ति 500/- इस प्रकार कुल 2,08,000/- रुपये जमा कराने के आदेश पक्षकार को दिए। कलेक्टर ऑफ स्टाम्प के इसी आदेश के विरुद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है।

3. आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से यह तर्क दिए गए हैं कि विचारण न्यायालय ने यह देखने में भूल की है कि उप-पंजीयक के द्वारा जो गाईड-लाइन उक्त मुख्त्यारनामे को उचित रूप से स्टाम्पित करने हेतु जो अभिमत बनाया है तथा गाईडलाइन के अनुसार तथा संपत्ति का बाजार मूल्य निर्धारण किया है वह पूरी तरह गलत है, क्योंकि पुनरीक्षणकर्ता एवं गैर-पुनरीक्षणकर्ता क्र. 2 से 5 एक ही परिवार के सदस्य हैं तथा उनके द्वारा उप-पंजीयक के समक्ष जो रु. 1000/- के स्टाम्प पर जो मुख्त्यारनामा प्रस्तुत किया गया था वह पर्याप्त स्टाम्प पर प्रस्तुत किया गया था।

उनके द्वारा यह भी कहा गया है कि पुनरीक्षणकर्ता को उक्त दस्तावेज (मुख्त्यारआम) की अब कोई आवश्यकता नहीं बची है, पुनरीक्षणकर्ता उक्त दस्तावेज को अब अस्तित्व में नहीं बना रहने देना चाहता और ना ही गैर-पुनरीक्षणकर्ता क्र. 2 से 5 पुनरीक्षणकर्ता को अपना मुख्त्यारआम नियुक्त करना चाहते हैं। इस कारण भी उक्त विचारण न्यायालय का आदेश 05.05.2016 निरस्ती योग्य है।

4. अनावेदक क्र. 2 से 5 की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा लिखित रूप से यह तर्क दिए गए हैं कि प्रश्नाधीन भूमि को सभी कार्यों हेतु गैर-पुनरीक्षणकर्ता को अपना मुख्त्यारआम नियुक्त किया था तथा पंजीयन हेतु उक्त मुख्त्यारनामा दिनांक 19.12.2014 को उप-पंजीयक कार्यालय जबलपुर के समक्ष पंजीयन हेतु प्रस्तुत किया था, जिसे उप-पंजीयक द्वारा 33 भारतीय स्टाम्प अधिनियम के तहत अवरुद्ध कर धारा- 38(2) के तहत अग्रिम कार्यवाही हेतु

विचारण न्यायालय कलेक्टर ऑफ स्टाम्प की ओर प्रेषित किया था, जिसमें कलेक्टर ऑफ स्टाम्प के द्वारा दिनांक 05.05.2016 को शेष कमी स्टाम्प शुल्क, 2,08,000/- रुपये की शास्ति अधिरोपित कर दी और उक्त शास्ति पुनरीक्षणकर्ता देने में असमर्थ है इस कारण उक्त मुख्त्यारनामे को अस्तित्व में नहीं रखना चाहता और उक्त मुख्त्यारनामा जो कि दिनांक 19.02.2014 को उपपंजीयन कार्यालय के समक्ष 1000/- रुपये के स्टाम्प में प्रस्तुत किया गया था, वह भी लगभग 2.5 वर्ष पूर्व का है और वह विलेख अपने आप में अस्तित्व विहीन हो चुका है।

उनके द्वारा यह भी कहा गया है कि गैर-पुनरीक्षणकर्ता क्र. 2 से 5 पुनरीक्षणकर्ता को अपना मुख्त्यारनामा नहीं नियुक्त करना चाहते, क्योंकि उक्त मुख्त्यारनामे को अस्तित्व में बनाए रखने में गैर-पुनरीक्षणकर्ता क्र. 2 से 5 को कोई रुचि नहीं है और ना ही पुनरीक्षणकर्ता उक्त मुख्त्यारनामे को प्राप्त करना चाहता है इसलिए उक्त मुख्त्यारनामा दिनांक 19.12.2014 को निरस्त किया जावे और उसका प्रवाहहीन किया जावे। जिसके समर्थन में विनोद असरानी का शपथ-पत्र भी प्रस्तुत किया गया है।

5. उभ्यपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों पर विचार किया। यह प्रकरण मुख्त्यारनामे पर स्टाम्प ड्यूटी अदा करने से संबंधित है। अधीनस्थ न्यायालय ने तथाकथित मुख्त्यारनामे के संबंध में यह स्पष्ट किया है कि मुख्त्यारकर्ताओं में से केवल एक पक्षकार ही मुख्त्यारगृहीता के रक्त संबंधी है शेष तीन पक्षकार मुख्त्यारगृहीता के रक्त संबंधी/कुटुम्ब के सदस्य नहीं हैं। उक्त आधार पर उन्होंने अनुच्छेद 50 (घ)(2) के तहत मुख्त्यारनामे का मूल्यांकन करते हुए स्टाम्प शुल्क की गणना की गई है तथा कमी स्टाम्प शुल्क 2,07,500/- एवं शास्ति रुपये 500/- कुल रुपये 2,08,000/- आवेदक से वसूल किए जाने के निर्देश दिए हैं, जो उचित हैं। प्रकरण के तथ्यों को देखते हुए अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं है। परिणामस्वरूप यह निगरानी आधारहीन होने से निरस्त की जाती है।

(एम. गोपाल रेड्डी)
प्रशासकीय सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर